



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 609 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवविज्ञान संकाय के अंतर्गत मानवविज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

28(2)(i) 1. निरंक

28(2)(ii) 1. निरंक

2. निरंक

28(2)(iii) 1. निरंक

28(2)(iv) 1. डॉ. संध्या अग्रवाल (सहा. प्राध्यापक) शासकीय वि. या. ता. स्नातकोत्तर स्वशासी

महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

2. डॉ. अंजली ध्रुव (सहा. प्राध्यापक) शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय,

राजनांदगांव

28(2)(v) 1. निरंक

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. संध्या अग्रवाल को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 610 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
4. संबंधित सदस्यों को।
5. समस्त विभागीय अधिकारी।
6. कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 621 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/7/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवविज्ञान संकाय के अंतर्गत बायोटेक्नोलॉजी अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. उज्वला सुपे (सहा. प्राध्यापक) - सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाई
2. डॉ. प्रमोद महीश (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला- दुर्ग
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. अकांक्षा जैन (सहा. प्राध्यापक) - श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी, भिलाई
2. डॉ. अनुभूति झा (सहा. प्राध्यापक) - सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाई
- 28(2)(v) 1. डॉ. सोनल खंडेलवाल (सहा. प्राध्यापक) - साई महाविद्यालय, सेक्टर- 6 भिलाई
2. कु. सीमा मंडावी (सहा. प्राध्यापक) - आचार्य पंथ श्री गृध मुनि नाम साहेब शास. पी.जी. महाविद्यालय, कवर्धा, जिला- कबीरधाम

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. उज्वला सुपे को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

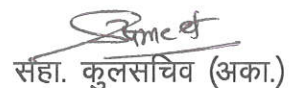

कुलसचिव

क्र. 622 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/7/2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 617 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवविज्ञान संकाय के अंतर्गत वनस्पति विज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. उषा चंदेल (सहा. प्राध्यापक) - डॉ. वा. वा. पाटणकर शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
2. डॉ. ए. के. श्रीवास्तव (सहा. प्राध्यापक) - डॉ. दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई जिला- दुर्ग
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. मंजुला गुप्ता (सहा. प्राध्यापक) - डॉ. खुबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय, भिलाई- 3, जिला- दुर्ग
2. डॉ. संगीता शर्मा (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोरी, जिला - दुर्ग
- 28(2)(v) 1. डॉ. जी.एस. ठाकुर सहा. प्राध्यापक) - शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय, जिला- दुर्ग
2. डॉ. प्रतीक्षा पाण्डे (सहा. प्राध्यापक) - भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाईनगर

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. उषा चंदेल को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

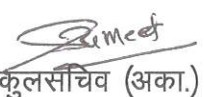

कुलसचिव

क्र. 618 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
4. संबंधित सदस्यों को।
5. समस्त विभागीय अधिकारी।
6. कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 599 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत रसायन विज्ञान एवं जीव रसायन अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. सुकुमार चटर्जी (प्राध्यापक) - शासकीय वि. या. ता. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग
2. डॉ. सुनीता गुप्ता (सहा. प्राध्यापक) - शास. डॉ. वा. वा. पाटणकर कन्या पो.जी. महाविद्यालय, जिला- दुर्ग
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. पंकज सोनी (सहा. प्राध्यापक) - शास. दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई, जिला- दुर्ग
2. डॉ. अरुणा साव (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा जिला- बालोद
- 28(2)(v) 1. डॉ. राजमणि पटेल (सहा. प्राध्यापक), हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
2. डॉ. अल्पा श्रीवास्तव (सहा. प्राध्यापक), इंदिरा गांधी शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशालीनगर, जिला- दुर्ग

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. सुकुमार चटर्जी को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 600 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
4. संबंधित सदस्यों को।
5. समस्त विभागीय अधिकारी।
6. कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 678 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 27/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के अंतर्गत वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. नमिता गुहाराय (सहा. प्राध्यापक) - इंदिरा गांधी शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशालीनगर, भिलाई, जिला- दुर्ग
2. डॉ. के. एल. राठी (सहा. प्राध्यापक) - डॉ. वा. वा. पाटणकर शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग)
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. राकेश मिंज (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उत्तई, जिला- दुर्ग
2. डॉ. मोहित कुमार साव (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय महाविद्यालय, अर्जुंदा, जिला- बालोद
- 28(2)(v) 1. डॉ. आर. पी. अग्रवाल (सहा. प्राध्यापक) - कल्याण पी.जी. महाविद्यालय, भिलाईनगर, जिला- दुर्ग
2. डॉ. सुमीत अग्रवाल (सहा. प्राध्यापक) - हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. नमिता गुहाराय को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

नोट :- पूर्व में जारी अधिसूचना को निरस्त कर नवीन अधिसूचना जारी की गई है।


कुलसचिव

क्र. 679 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 27/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
4. संबंधित सदस्यों को।
5. समस्त विभागीय अधिकारी।
6. कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 595 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

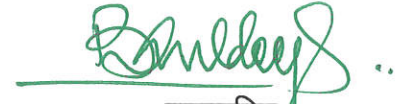
|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संकाय के अंतर्गत कम्प्यूटर साईंस अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. श्री राजू खूंटे (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर, महाविद्यालय, राजनांदगांव
2. डॉ. जे. दुर्गा प्रसाद राव (सहा. प्राध्यापक) - श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. श्री दिलीप कुमार (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय, जिला- दुर्ग
2. सुरेश कुमार ठाकुर (सहा. प्राध्यापक) - इंदिरा गांधी शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशालीनगर, भिलाई, जिला- दुर्ग
- 28(2)(v) 1. डॉ. ममता सिंह (सहा. प्राध्यापक) - साई महाविद्यालय, सेक्टर-6, भिलाई, जिला-दुर्ग
2. श्रीमती प्रणाली रविकांत हटवार (सहा. प्राध्यापक) - कल्याण पी.जी. महाविद्यालय, भिलाईनगर, जिला- दुर्ग

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने श्री राजू खूंटे को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 596 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
4. संबंधित सदस्यों को।
5. समस्त विभागीय अधिकारी।
6. कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 607 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत अर्थशास्त्र अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. ए. के. खान (प्राध्यापक) — शासकीय वि. या. ता. स्नातकोत्तर स्वशासी, महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
2. डॉ. डी. पी. कुर्रे (प्राध्यापक) — शास. दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनादगांव (छ.ग.)
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. अनिता मेश्राम (सहा. प्राध्यापक) — शासकीय नवीन महाविद्यालय, खुर्सीपार, भिलाई, जिला- दुर्ग
2. डॉ. हंसराज ठाकुर (सहा. प्राध्यापक) — शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोरी, जिला- दुर्ग
- 28(2)(v) 1. डॉ. प्रीता लाल, (संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्) हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग
2. डॉ. सीमा अग्रवाल (सहा. प्राध्यापक) — शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई, जिला- दुर्ग

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. ए. के. खान को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 608 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 597 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के शिक्षा संकाय के अंतर्गत शिक्षा अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. ईश्वर सिंह बरगाह (सहा. प्राध्यापक) - कल्याण पी.जी. महाविद्यालय, भिलाईनगर, जिला- दुर्ग
2. डॉ. सुषमा दुबे (सहा. प्राध्यापक) -- श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. मोहना सुशांत पंडित (सहा. प्राध्यापक) - भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
2. डॉ. तनूश्री नंदी (सहा. प्राध्यापक) - मनसा कॉलेज ऑफ एजुकेशन, कुरुद, भिलाई, जिला- दुर्ग
- 28(2)(v) 1. डॉ. शबाना (सहा. प्राध्यापक) - कल्याण पी.जी. महाविद्यालय, भिलाईनगर, जिला- दुर्ग
2. राखी शर्मा (सहा. प्राध्यापक) - अपोलो कॉलेज, अंजोरा जिला- दुर्ग

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. ईश्वर सिंह बरगाह को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 598 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
4. संबंधित सदस्यों को।
5. समस्त विभागीय अधिकारी।
6. कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 571 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत अंग्रेजी अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. एच. के. गरचा (सहा. प्राध्यापक) - शास. कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय, जिला - राजनांदगांव
2. डॉ. रबिन्द्र छाबड़ा (सहा. प्राध्यापक) - इंदिरा गांधी शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशालीनगर, भिलाई दुर्ग
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. तापस मुखर्जी (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोरी, जिला - दुर्ग
2. डॉ. सुनीता झा (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय नवीन महाविद्यालय, खुर्सीपार, भिलाई, जिला- दुर्ग
- 28(2)(v) 1. डॉ. अनुराग पाण्डे (सहा. प्राध्यापक) - कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाईनगर जिला - दुर्ग
2. डॉ. पूजा मल्होत्रा (सहा. प्राध्यापक) - सेठ. आर. सी. एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय जिला-दुर्ग

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. एच. के. गरचा को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 572 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 577 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत भूगोल अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. के. एन. प्रसाद (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला - राजनांदगांव
2. डॉ. अनिल कुमार मिश्रा (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर महाविद्यालय, जिला- दुर्ग
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. संजय कुमार दास (सहा. प्राध्यापक) - इंदिरा गांधी शास. कला एवं वाणि महाविद्यालय, वैशालीनगर, भिलाई जिला - दुर्ग (छ.ग.)
2. डॉ. निवेदिता ए. लाल (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय कमला देवी राठी महिला, महाविद्यालय, जिला- राजनांदगांव
- 28(2)(v) 1. डॉ. रामेश्वर प्रसाद ठाकुर (सहा. प्राध्यापक) - मदन लाल साहू, शासकीय महाविद्यालय, अरमरीकला, जिला-बालोद, (छ.ग.)
2. डॉ. देवेन्द्र धर द्विवेदी (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय पं. जवाहर लाल नेहरू कला/विज्ञान पी.जी. महाविद्यालय, बेमेतरा (छ.ग.)

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. के. एन. प्रसाद को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 578 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 605 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत भूगर्भ शास्त्र अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
28(2)(ii) 1. निरंक
2. निरंक
28(2)(iii) 1. निरंक
28(2)(iv) 1. डॉ. एस. डी. देशमुख (सहा. प्राध्यापक), शासकीय वि. या. ता. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग
28(2)(v) 1. डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव (डी.एस.डब्लू), हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग
2. डॉ. राजीव गुहे (सहा. प्राध्यापक), शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. एस. डी. देशमुख को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 606 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 674 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 27/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. बलजीत कौर (प्राध्यापक) - शास. वि. या. ता. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग
2. डॉ. विनोद कुमार शर्मा (सहा. प्राध्यापक) - डॉ. खुबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय, भिलाई- 3 जिला-दुर्ग
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. आस्था तिवारी (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय नवीन महाविद्यालय, बेरला, जिला - बेमेतरा
2. डॉ. के. एल. रावटे (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय महाविद्यालय, गुरुर, जिला- बालोद
- 28(2)(v) 1. डॉ. रीता गुप्ता (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई जिला-दुर्ग
2. डॉ. लीना साहू (सहा. प्राध्यापक) - माता कर्मा कला, वाणिज्य एवं विज्ञान, महाविद्यालय, गुंडरदेही, जिला- बालोद

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. बलजीत कौर को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

नोट :- पूर्व में जारी अधिसूचना को निरस्त कर नवीन अधिसूचना जारी की गई है।


कुलसचिव

क्र. 675 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 27/07/2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 581 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत इतिहास अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. पी. डी. सोनकर (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला- राजनांदगांव
2. डॉ. आशा चौधरी (सहा. प्राध्यापक) - शास. नेहरू पी.जी. महाविद्यालय, डोंगरगढ़, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. फुलसो राजेश पटेल (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, जिला- राजनांदगांव (छ.ग.)
2. डॉ. के. एस. परिहार (सहा. प्राध्यापक) - शास. गजानंद माधव मुक्तिबोध महाविद्यालय, सहसपुर लोहारा, जिला- कबीरधाम
- 28(2)(v) 1. डॉ. ज्योति धारकर (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय, जिला- दुर्ग
2. डॉ. अनसुईया जोगी (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई, जिला- दुर्ग (छ.ग.)

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. पी. डी. सोनकर को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 582 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 611 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के गृहविज्ञान संकाय के अंतर्गत गृहविज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. मीनाक्षी अग्रवाल (सहा. प्राध्यापक) - शास. डॉ. वा. वा. पाटणकर कन्या पी.जी. महाविद्यालय, दुर्ग
2. डॉ. रूपम ए. यादव (सहा. प्राध्यापक) - भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर 9, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. भारती सेठी (सहा. प्राध्यापक) - डॉ. खूबचंद बघेल शासकीय स्नातको. महाविद्यालय, भिलाई-3, दुर्ग ।
2. डॉ. दीपाली राव (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त पी.जी. महाविद्यालय, जिला- बालोद
- 28(2)(v) 1. डॉ. ज्योतिबाला चौबे (सहा. प्राध्यापक) - भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर 9, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग
2. डॉ. रश्मि सिंह (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय महाविद्यालय, अर्जुन्दा, जिला- बालोद

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. मीनाक्षी अग्रवाल को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 612 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 676 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 27/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विधि संकाय के अंतर्गत विधि अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. राघवेश पाण्डे (सहा. प्राध्यापक) — शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालोद
2. डॉ. जयंत कुमार धुरंधर (सहा. प्राध्यापक) — कल्याण विधि महाविद्यालय, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. श्रीमती सीमा शर्मा (सहा. प्राध्यापक) — सेठ आर.सी.एस. विधि महाविद्यालय, दुर्ग
2. डॉ. अल्का चौहान (सहा. प्राध्यापक) — पं. किशोरी लाल शुक्ल विधि महाविद्यालय, राजनांदगांव
- 28(2)(v) 1. निरंक
2. निरंक

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. राघवेश पाण्डे को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

नोट :- पूर्व में जारी अधिसूचना को निरस्त कर नवीन अधिसूचना जारी की गई है।


कुलसचिव

क्र. 677 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 27/07/2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 623 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत पुस्तकालय अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
28(2)(ii) 1. निरंक
2. निरंक
28(2)(iii) 1. निरंक
28(2)(iv) 1. निरंक
2. निरंक
28(2)(v) 1. डॉ. रीता शर्मा (लाइब्रेरियन), - शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर कन्या महाविद्यालय, जिला-
दुर्ग
2. डॉ. विनोद कुमार अहिवार (लाइब्रेरियन), - शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर महाविद्यालय,
जिला- दुर्ग

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. रीता शर्मा को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

कुलसचिव

क्र. 624 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।

सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 589 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत गणित अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. ओमकार लाल श्रीवास्तव (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय कमला देवी राठी महिला, महाविद्यालय, जिला- राजनांदगांव
2. डॉ. अनुजा चौहान (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय डॉ. वा.वा. पाटणकर कन्या पी.जी. महाविद्यालय, जिला- दुर्ग
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. आर. के. मिश्रा (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय नवीन महाविद्यालय, जामुल, जिला- दुर्ग
2. श्री. मनोहर बोकड़े (सहा. प्राध्यापक) - शास. कुंज बिहारी चौबे महाविद्यालय, जिला - राजनांदगांव
- 28(2)(v) 1. श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव (सहा. प्राध्यापक) - श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई
2. डॉ. एच. एल. मानकर (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय घनश्याम सिंह गुप्त पी.जी. महाविद्यालय, जिला- बालोद

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. ओमकार लाल श्रीवास्तव को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 590 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
4. संबंधित सदस्यों को।
5. समस्त विभागीय अधिकारी।
6. कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 619 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवविज्ञान संकाय के अंतर्गत सूक्ष्म जीवविज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. श्रीमती व्ही. शांति (सहा. प्राध्यापक) - सेंट थॉमस कॉलेज, भिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
2. डॉ. रंजना साहू (सहा. प्राध्यापक) - भिलाई महिला महाविद्यालय, भिलाईनगर
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. दीपक कुमार देवांगन (सहा. प्राध्यापक) - आचार्य पंथ श्री गृंध मुनि नाम साहेब शास. पी. जी. महाविद्यालय, कवर्धा, जिला- कबीरधाम
2. डॉ. शमा ए. बेग (सहा. प्राध्यापक) - स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदीनगर, हुडको, भिलाई
- 28(2)(v) 1. डॉ. रेखा गुप्ता (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग
2. डॉ. रचना चौधरी (सहा. प्राध्यापक) - श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने श्रीमती व्ही. शांति को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 620 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 601 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत नृत्य, चित्रकला एवं संगीत अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. ऋचा ठाकुर (प्राध्यापक) – डॉ. वा.वा. पाटणकर शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, दुर्ग
2. निरंक
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. मिलिन्द अमृतफले (सहा. प्राध्यापक) – डॉ. वा. वा. पाटणकर शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय, दुर्ग
2. श्रीमती रामकुमारी ध्रुव (सहा. प्राध्यापक) – शासकीय कमलादेवी राठी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव
- 28(2)(v) 1. श्री स्वप्निल करमाहे (सहा. प्राध्यापक) – शासकीय डी.बी. कन्या महाविद्यालय, जिला-रायपुर
2. निरंक

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा – 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. ऋचा ठाकुर को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 602 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 1205 / अका. / 2024

दुर्ग, दिनांक 24/01/2024

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत नृत्य, चित्रकला एवं संगीत अध्ययन मण्डल के अध्यक्ष एवं सदस्यों के आवेदन के आधार पर अध्ययन मण्डल में श्री योगेन्द्र त्रिपाठी (सहा. प्राध्यापक), डॉ. वा. वा. पाटणकर शासकीय कन्या महाविद्यालय, जिला-दुर्ग (छ.ग.) को विशेष आमंत्रित सदस्य नामांकित किया जाता है।

उपरोक्तानुसार सदस्य का कार्यकाल पूर्व अधिसूचित पत्र क्र. 601/अका./2023; दुर्ग दिनांक 14.07.2023 के अनुसार शेष कार्यकाल के लिए होगा।

कुलसचिव

क्र. 1206 / अका. / 2024

दुर्ग, दिनांक : 24/01/2024

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।

सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका, दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 591 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

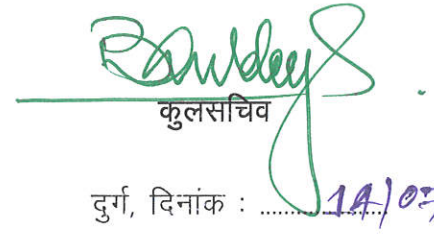
|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत दर्शनशास्त्र अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
28(2)(ii) 1. निरंक
2. निरंक
28(2)(iii) 1. निरंक
28(2)(iv) 1. डॉ. एच. एस. अलरेजा (सहा. प्राध्यापक), शासकीय दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जिला-राजनांदगांव
2. निरंक
28(2)(v) 1. निरंक
2. निरंक

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. एच. एस. अलरेजा को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 592 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
4. संबंधित सदस्यों को।
5. समस्त विभागीय अधिकारी।
6. कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 603 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा संकाय के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

28(2)(i) 1. निरंक

28(2)(ii) 1. निरंक

2. निरंक

28(2)(iii) 1. निरंक

28(2)(iv) 1. डॉ. ए. के. लांजेवार (सहा. प्राध्यापक), सेठ आर. सी. एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग

28(2)(v) 1. डॉ. प्रमोद तिवारी (सहा. प्राध्यापक), सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग
2. श्री निलेश तिवारी (सहा. प्राध्यापक), सेठ आर. सी. एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. ए. के. लांजेवार को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल पूर्व जारी अधिसूचना के अनुसार तीन वर्ष की शेष अवधि के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 604 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
4. संबंधित सदस्यों को।
5. समस्त विभागीय अधिकारी।
6. कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 587 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

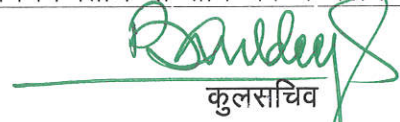
|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिकशास्त्र अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. स्मृति अग्रवाल (सहा. प्राध्यापक) - इंदिरा गांधी शास. कला एवं वाणि. महाविद्यालय, वैशालीनगर, भिलाई, जिला- दुर्ग
2. डॉ. मनीष कालरा (सहा. प्राध्यापक) - डॉ. खुबचंद बघेल शास. महाविद्यालय, भिलाई- 3, जिला- दुर्ग
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. एल. आर. हिरवानी (सहा. प्राध्यापक) - शास. महाविद्यालय, गुरुर, जिला- बालोद
2. उगेन्द्र कुमार कुर्रे (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय चंदूलाल चन्द्राकर शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग
- 28(2)(v) 1. डॉ. जगजीत कौर सलूजा (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय, जिला- दुर्ग
2. श्रीमती प्रतिभा छाया क्लोडियस (सहा. प्राध्यापक) - भिलाई महिला महाविद्यालय, सेक्टर-9, भिलाईनगर, जिला- दुर्ग

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. स्मृति अग्रवाल को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 588 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 672 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 27/7/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. कु. अबेदा बेगम (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय कमला देवी राठी महिला महाविद्यालय, जिला- राजनांदगांव
2. डॉ. शकील हुसैन (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय, जिला- दुर्ग
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. नागरत्न गनवीर (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय नवीन महाविद्यालय, रिसाली, जिला- दुर्ग
2. डॉ. के. आर. ठाकुर (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय, डोंगरगांव, जिला- राजनांदगांव
- 28(2)(v) 1. श्री ए. एस. ठाकुर (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय महाविद्यालय, जामगांव (आर) जिला- दुर्ग
2. डॉ. सुनीता मिश्रा (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय महाविद्यालय, खुर्सीपार, जिला - दुर्ग

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. अबेदा बेगम को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा

नोट :- पूर्व में जारी अधिसूचना को निरस्त कर नवीन अधिसूचना जारी की गई है।

कुलसचिव

क्र. 673 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 27/7/2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।

सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 583 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत मनोविज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. बसंत सोनबेर (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय कमलादेवी राठी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव
2. डॉ. रचिता श्रीवास्तव (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय वि. या. ता. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. अंकिता देशमुख (सहा. प्राध्यापक) - सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाई, जिला- दुर्ग
2. निरंक
- 28(2)(v) 1. डॉ. देबजानी मुखर्जी (सहा. प्राध्यापक) - सेंट थॉमस महाविद्यालय, भिलाई, जिला- दुर्ग
2. डॉ. प्रतीभा शर्मा (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय वि. या. ता. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. बसंत सोनबेर को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 584 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 575 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के कला संकाय के अंतर्गत संस्कृत अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. सुषमा तिवारी (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय कमलादेवी राठी महिला महाविद्यालय, राजनांदगांव
2. श्री जनेन्द्र दीवान (सहा. प्राध्यापक) - शास. वि. या. ता. स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, दुर्ग
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. श्री महेश कुमार अलेन्द्र (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय इंदिरा गांधी कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, वैशालीनगर, भिलाई, जिला-दुर्ग
2. निरंक
- 28(2)(v) 1. डॉ. दिव्या देशपाण्डे (सहा. प्राध्यापक) - शास. दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला-राजनांदगांव
2. श्री ललित प्रधान आर्य (सहा. प्राध्यापक) - शास. दिग्विजय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जिला-राजनांदगांव

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. सुषमा तिवारी को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।

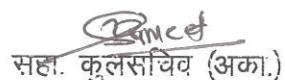

कुलसचिव

क्र. 576 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/7/2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
4. संबंधित सदस्यों को।
5. समस्त विभागीय अधिकारी।
6. कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 882 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 29/08/2023

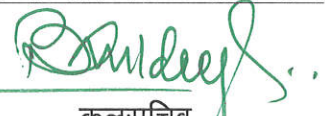
||संशोधित अधिसूचना||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के अंतर्गत समाजशास्त्र एवं सामाजिक कार्य अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

- 28(2)(i) 1. निरंक
- 28(2)(ii) 1. डॉ. मंजू दांडेकर (सहा. प्राध्यापक) - डॉ. खूबचंद बघेल शासकीय महाविद्यालय, भिलाई-3, जिला- दुर्ग (छ.ग.)
2. डॉ. सपना शर्मा सारस्वत (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्वशासी महाविद्यालय, जिला- दुर्ग
- 28(2)(iii) 1. निरंक
- 28(2)(iv) 1. डॉ. अमरनाथ शर्मा (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय नवीन महाविद्यालय, बोरी जिला - दुर्ग (छ.ग.)
2. श्री बी. एल. मंडलोई (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय नवीन महाविद्यालय, मंगचुआ, जिला- बालोद
- 28(2)(v) 1. डॉ. आई. पी. दिनकर (सहा. प्राध्यापक) - पं. देवी प्रसाद चौबे शास. महाविद्यालय साजा, जिला- बेमेतरा
2. डॉ. डेल कुलार बलेन्द्र (सहा. प्राध्यापक) - स्व. पुकेश्वर सिंह भारदीय शास. महाविद्यालय, निकुम, जिला- दुर्ग

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. सपना शर्मा सारस्वत को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।



कुलसचिव

क्र. 883 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 29/08/2023

प्रतिलिपि:-

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
- आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
- प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
- संबंधित सदस्यों को।
- समस्त विभागीय अधिकारी।
- कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)



हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)

(पूर्व नाम - दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग)

रायपुर नाका दुर्ग (छ.ग.)-491001

ई मेल : academic@durguniversity.ac.in / वेब साइट : www.durguniversity.ac.in / दूरभाष : 0788-2359400

क्र. 615 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक 14/07/2023

|| अधिसूचना ||

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 की उपधारा (2) की कंडिका (i) से (v) तक के प्रावधान के अनुसार विश्वविद्यालय के जीवविज्ञान संकाय के अंतर्गत प्राणी विज्ञान अध्ययन मण्डल का निम्नानुसार गठन अधिसूचित किया जाता है:-

28(2)(i) 1. निरंक

28(2)(ii) 1. डॉ. लता मेश्राम (सहा. प्राध्यापक) - डॉ. वा. वा. पाटणकर शासकीय कन्या स्नातको. महाविद्यालय, दुर्ग

2. डॉ. किरणलता दामले (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय दिग्विजय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, राजनांदगांव

28(2)(iii) 1. निरंक

28(2)(iv) 1. डॉ. मधुलिका रॉय (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई, जिला- दुर्ग

2. श्री एस. एन. कामड़ी (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय अवंती बाई लोधी महाविद्यालय, घुमका, जिला- राजनांदगांव

28(2)(v) 1. डॉ. हेमा कुलकर्णी (सहा. प्राध्यापक) - शासकीय आदर्श महाविद्यालय, दुर्ग

2. डॉ. सोनिया बजाज (सहा. प्राध्यापक) - श्री शंकराचार्य महाविद्यालय, जुनवानी, भिलाई

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा - 28(3) के प्रावधान के अनुसार कुलपति जी ने डॉ. लता मेश्राम को अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल मनोनीत किया है।

नये गठित अध्ययन मण्डल का कार्यकाल अधिसूचना निर्गमन तिथि से तीन वर्ष के लिये होगा।


कुलसचिव

क्र. 616 / अका. / 2023

दुर्ग, दिनांक : 14/07/2023

प्रतिलिपि:-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर।
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
3. प्राचार्य, संबंधित महाविद्यालय।
4. संबंधित सदस्यों को।
5. समस्त विभागीय अधिकारी।
6. कुलपति एवं कुलसचिव के निज सहायक, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग।


सहा. कुलसचिव (अका.)